



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4

PART II—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 15]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 10, 2009/कार्तिक 19, 1931

No. 15]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 10, 2009/KARTIKA 19, 1931

रक्षा मंत्रालय

MINISTRY OF DEFENCE

अधिसूचना

NOTIFICATION

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 2009

New Delhi, the 10th November, 2009

का.नि.आ. 17(अ).—केन्द्रीय सरकार, सशस्त्र बल अधिकरण अधिनियम, 2007 (2007 का 55) की धारा 5 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 16 नवम्बर, 2009 से चंडीगढ़ में सशस्त्र बल अधिकरण की न्यायपीठ को अधिसूचित करती है, जिसकी अधिकारिता पंजाब, हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर और हिमाचल प्रदेश राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ की राज्यक्षेत्रीय सीमाओं के भीतर होगी।

S.R.O. 17(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 5 of the Armed Forces Tribunal Act, 2007 (55 of 2007), the Central Government hereby notifies the Bench of the Armed Forces Tribunal at Chandigarh with effect from 16th day of November, 2009, which shall have jurisdiction within the territorial limits of the States of Punjab, Haryana, Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh and the Union Territory of Chandigarh.

[फा. सं. 7(6)/2009/डी (एफटी सेल)]

[F. No. 7(6)/2009/D (AFT Cell)]

आनंद मिश्र, संयुक्त सचिव

ANAND MISRA, Jt. Secy.